

विचारार्थ विषय

वरिष्ठ परामर्शदाता – मातृ स्वास्थ्य (पीएमएसएमए एवं नए कार्यक्रम)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पूर्णतया संविदात्मक आधार पर उपर्युक्त पद के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है।

पद का उद्देश्य:

इस पद का मूल उद्देश्य, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) और मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए कार्यक्रमों के संचालन में दक्षता और क्षमता के साथ सरकार को इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, निगरानी और दस्तावेजीकरण में प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य एवं पवित्र कल्याण मंत्रालय को सहयोग करना है।

भूमिकाएं और दायित्वः

- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) और मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए कार्यक्रमों को शुरू करने और राज्यों/जिलों में सहयोगी पर्यवेक्षण दौरों के माध्यम से पीएमएसएमए के प्रदर्शन में सतत सुधार कर कार्यक्रम के समग्र लक्ष्यों (संख्या एवं गुणवत्ता) को प्राप्त करने में सहयोग करना।
- प्राप्त रिपोर्टों के विश्लेषण, एचएमआईएस पर उपलब्ध डेटा, फील्ड दौरों इत्यादि के माध्यम से पीएमएसएमए और मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए कार्यक्रमों को 'जुरु' करने की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- मंत्रालय के भीतर और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पीएमएसएमए और मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए कार्यक्रमों पर आयोजित की जाने वाली समीक्षा बैठकों में सहयोग प्रदान करना।
- जिलों/स्वास्थ्य केंद्रों का फील्ड दौरा करना; जब भी आवश्यक हो, खूबियों और कमियों का पता लगाने के लिए सेवा प्रदायगी का अवलोकन करना और कमियों को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर चर्चा करना एवं उनपर सहमति बनाना। यह सुनिश्चित करने के लिए फॉलो-अप करना कि सहमत उपायों को लागू किया गया है।
- मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा करना और फील्ड दौरों/निगरानी से प्राप्त फीडबैक के आधार पर संशोधन करना/संशोधित दिशानिर्देश तैयार करना (यदि आवश्यक हो); सुनिश्चित करना कि आवश्यक अनुमोदन ले लिए गए हैं और दिशानिर्देशों को, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से वितरित किया जाता है।
- उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिए तकनीकी दस्तावेजों की समीक्षा, प्रचालन दिशानिर्देश, पीपीटी, 'वेत पत्र, नीतिगत नोट तैयार करना।
- सेवा प्रदायगी/गुणवत्ता में सुधार करने हेतु नियोजन एवं निगरानी प्रणाली में सतत प्रक्रिया सुधार लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मदद करना।
- राज्यों और जिलों के भीतर सर्वोत्तम पद्धतियों और नवाचारों की पहचान करना और इन्हें दर्ज करने और नवाचार पोर्टल पर अपलोड करने के लिए राज्यों को सहयोग करना।
- मौजूदा साहित्य, विभिन्न सर्वेक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करना तथा मौजूदा प्रवृत्ति और प्रगति का मूल्यांकन करना।
- रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य करना।

पात्रता:

- किसी प्रतिष्ठित एवं मान्यताप्राप्त संस्थान से सामाजिक कार्य/स्वास्थ्य प्रबंध में स्नातकोत्तर/एमबीए उपाधि;
- अधिमानतः विकास के क्षेत्र में योग्यता उपरांत न्यूनतम 5 □□□□□ का कार्य अनुभव;
- जन स्वास्थ्य प्रणाली और सरकार की सुसंगत नीतियों/रणनीतियों, विशेष तौर पर □□□□□□□ स्वास्थ्य मिशन और राज्य स्वास्थ्य समितियों के बारे में जानकारी रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी;
- संप्रेषण एवं प्रस्तुति कौशल, विश्लेषणात्मक और अंतर्वेयक्तिक क्षमता, अंग्रेजी और हिंदी में उत्कृष्ट मौखिक एवं लिखित संप्रेषण कौशल;
- एमएस-वर्ड, एक्सेल, पॉवर पाइंट के उच्च स्तरीय ज्ञान सहित सोसल मीडिया एकाउंटों के प्रबंधन में प्रवीणता;
- बहुआयामी टीम परिवेश में कार्य करने की प्रदर्शित योग्यता;
- केंद्र/राज्य/संघराज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशित कार्य या सुसंगत कार्य क्षेत्र का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए औपचारिक □□□□□□ योग्यता एवं अनुभव की '□र्टी में ढील दी जा सकती है।

रिपोर्ट करना: संबंधित तकनीकी / कार्यक्रम अधिकारी / निदेशक को रिपोर्ट करना होगा।

आयु: ५००००० ०० ००००० ००००० तकअधिकतम ५५ वर्षों, और फील्ड दौरे करने के लिए उत्तम स्वास्थ्य।

पारिश्रमिक सीमा: प्रतिमाह ९०,०००/- से १,३०,०००/- रुपए के बीच।

स्थान: नई दिल्ली

आवेदन करने के लिए:

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे एनएचएसआरसी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए भर्ती हेतु सूचना के साथ संलग्न आवेदन पत्र को डाउनलोड कर विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को **10-Oct-2018** तक rch.mh.mohfw@gmail.com पर ई-मेल कर दें। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र पर आवेदन किए गए पद का उल्लेख किया गया है, अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।